

संख्या 3105/28/2016-बीसी.III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
ए विंग, शास्त्री भवन, राजेंद्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली - 110001

14 अगस्त, 2019

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय: टेलीविजन कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों के लिए पहुंच मानकों का कार्यान्वयन

दिनांक 19.04.2017 से लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियमन के साथ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों के लिए पहुंच मानक जारी करके इसे लागू करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत दिनांक 14.08.2019 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के संबोधन और दिनांक 15.08.2019 को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भारत के माननीय प्रधान मंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के साथ करने का आशय है। डीडी भारती चैनल श्रवणबाधित लोगों के लाभ के लिए इन कार्यक्रमों की सांकेतिक भाषा में व्याख्या करेगा, जिसे प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा इन कार्यक्रमों की फ़ीड निःशुल्क प्रसारित की जा सकती है।

2 प्राइवेट सैटेलाइट समाचार टीवी चैनलों से अनुरोध है कि वे दिनांक 15.8.2019 की दोपहर/शाम को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर 5-10 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करें जिसमें सांकेतिक भाषा व्याख्या दिखाई जाए। इस उद्देश्य के लिए, चैनल अपना स्वयं का कार्यक्रम (सांकेतिक भाषा व्याख्या का) बना सकते हैं या डीडी न्यूज द्वारा तैयार बुलेटिन निःशुल्क दिखा सकते हैं। प्राइवेट टीवी चैनल श्री विवेक वैभव, निदेशक (मोबाइल 9958988009), श्री रमन हितकारी, कार्यक्रम प्रमुख (मोबाइल: 09868106728, 9711409260) के साथ डीडी न्यूज में संपर्क कर सकते हैं।

(अमित कटोच)
निदेशक (बीसी)
दूरभाष: 23386394

प्रतिलिपि:

1. श्री रजत शर्मा, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए)। मैनटेक हाउस, नोएडा-201307
2. शं राकेश शर्मा, एसोसिएशन ऑफ रीजनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स ऑफ इंडिया (एआरटीबीआई), नई दिल्ली-110065
3. श्री अनुज जैन, कार्यकारी निदेशक, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ (एनएडी), दिल्ली
4. श्री मयंक अग्रवाल, महानिदेशक, डीडी (समाचार)
5. श्रीमती सुप्रिया साहू, महानिदेशक. डीडी भारती